कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 97 / 2018 / 10–11 / 12 / 4010 भोपाल, दिनांक 2-12-21

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला सागर के अंतर्गत बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 530.85 हेक्टेयर (505.5 हे0 के स्थान पर) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-76/2018-FC दि. 23.05.2019

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्वांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित है :–

शर्त	शर्त का विवरण	शर्त का पालन
A:	**Conditions required to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval.**	
1	In order of minimize the extent of forest land diversion arising out of the fact due to shifting of transmission lines are merged into a single line or the same tower is used for mounting all lines, thereby reducing the total requirement of forest land. State Government will also ensure that the fail accompli diversion proposal for shifting of transmission lines should not be passing over the non-forest land (NFL) pledged for compensatory Afforestation :	इस शर्त से आवेदक सहमत है। आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि की आवश्यकता कम करने के लिए वर्तमान में स्थापित 6 पॉवर लाईनों का विलय कर 4 पॉवर लाईनों में परिवर्तित कर दिया जावेगा। इस संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–1 में संलग्न है। इस तथ्य का भी ध्यान रखा जावेगा कि प्रस्तावित विद्युत लाईनें क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गैर वनभूमि से होकर न गुजरे।
2	Details of transmission line 'Shifting Plan' of the transmission line shall be as per the consensus of all the user agency and will be submitted prior to 'final approved:	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा ट्रांसमिशन लाईनों के स्थानांनतरण के संबंध में पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का पत्र दिनांक 13.10.2021 तथा जबलपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (IndiGrid) का पत्र दिनांक 14.10.2021 प्रस्तुत किया है, जो क्रमशः परिशिष्ट–2 एवं 3 में संलग्न है।
3	Complete details of Non-Forest land acquired for the Bina Irrigation Project along with a comprehensive map indicating the total number of patches acquired will be submitted by the State Government. The patches against different projects shall be coded in different colors. A single KML file indicating the area used/proposed against different project in different colors shall also be submitted;	इस शर्त के पालन में बीना सयुंक्त सिंचाई परियोजना में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त 618.50 हे0 गैर वनभूमि की KML File को गुलाबी रंग से एवं बण्डा सिंचाई परियोजना मे क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त 572.00 हे0 गैर वनभूमि की KML File को पीले रंग से दर्शाते हुये एकजाई KML File को आनलाईन भाग–II के बिन्दु क्रमांक–19 (vii) में अपलोड की गई है।

–2–

4	In order to prevent encroachment in the fringe forest areas of the rim of the reservoir and to reduce siltation of reservoir, the user agency with State Forest Department work out a mechanism of protection which will include appropriate afforestation of species which can tolerate water inundation in the fringe areas of the reservoir;	इस शर्त से आवेदक संस्थान सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–4 में संलग्न है।
5	The user agency under guidance of Department of Forest, Madhya Pradesh shall take up adequate steps for the plantation of bamboos and development of Agro forestry in the village surrounding the reservoir. Funds under the schemes of MoAFW. Govt of India may be utilized for the purpose;	इस शर्त से आवेदक संस्थान सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–5 में संलग्न है।
6	User agency shall ensure water discharge in downstream of the project to maintain minimum 'environmental flow.	इस शर्त से आवेदक संस्थान सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–6 में संलग्न है।
7	The cost of compensatory afforestaton at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years:	इस संस्था की बीना संयुक्त सिंचाई परियोजना में 618.50 हे0 वनभूमि प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना (बण्डा) में 530.85 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हुई है। इस प्रकार इन दोनों प्ररियोजनाओं में कुल 1148.85 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हुई है। आवेदक संस्था द्वारा पूर्व में ही बीना परियोजना के विरूद्ध 1190 हेक्टेयर गैर वनभूमि में रोपण कार्य हेतु राशि जमा कर दी है। आवेदक संस्था से प्राप्त राशि में से 1049.84 हेक्टेयर गैर वनभूमि में रोपण कार्य भी किया जा चुका है। शेष क्षेत्र में रोपण कार्य आगामी वर्ष में किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण की पूर्ण राशि बीना परियोजना में पूर्व में ही प्राप्त की जा चुकी है। अतः पृथक से यह राशि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
8	The State Government shall charge the net present value (NPV) for the 530.85Ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon' ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003,24/04/2008 and 09/05/2008 in 1A No. 566 in WP(c) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-C dated 05/02/2009 in this regard.	आवेदक संस्था द्वारा बीना परियोजना मे 1024 हेक्टेयर के लिये एन.पी.व्ही. की राशि जमा की थी। बीना परियोजना में प्रभावित वनभूमि का रकबा 1024 हेक्टेयर से कम होकर 618 हेक्टेयर रह गया है। अतः बीना परियोजना में 406 हेक्टेयर वनक्षेत्र भी नेट प्रजेंट वैल्यू अतिरिक्त रूप से जमा हो गई है। प्रस्ताव में प्रभावित 530.85 हेक्टेयर वनक्षेत्र की एन.पी.व्ही. की गणना के बाद बीना परियोजना में अधिक जमा राशि को कम करते हुए बण्डा परियोजना के लिए नेट प्रजेंट वैल्यू की शेष राशि रूपये 4,08,04,534/– एड हॉक कैम्पा में जमा की गई है।

–3–

9	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department:	मध्यप्रदेश राज्य शासन के आदेश दिनांक 22.04.2016 से शासकीय विभागों को विदोहन व्यय में छूट दी गयी है। यह कार्य विभागीय मद से बजट उपलब्ध करवाकर सम्पादित किया जावेगा।
10	The non-forest land shall be transferred and mutated in favour of Forest Department and notified as Reserved Forest Protected Forest prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section – 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the ease may be. Will be submitted by the State Government prior of Final/Stage –II approval,	बीना परियोजना में प्रभावित 618 हेक्टेयर तथा इस परियोजना में प्रभावित 530.85 हेक्टेयर के विरूद्ध आवेदक संस्था द्वारा 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई है, जिसका विवरण परिशिष्ट–7 में अंकित है। इस 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से 933.30 हेक्टेयर गैर वनभूमि संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित हो चुकी है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–8 में संलग्न है। शेष 257.260 हेक्टेयर गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
11	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector:	FRA प्रमाण पत्र की छायाप्रति परिशिष्ट–9 में संलग्न है।
12	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/) Amount deposited through other modes will not be accepted as compliance of the stage-I clearance;	आवेदक संस्था द्वारा बीना परियोजना मे अधिक जमा राशि को कम करते हुए नेट प्रजेंट वैल्यू की शेष राशि रूपये 4,08,04,534/– एड हॉक कैम्पा में जमा करा दी गई है। परियोजना मे CAT Plan की राशि रूपये 12,46,95,335/–एड हॉक कैम्पा में जमा करा दी गई है।
13	All the State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-Green Watch portal of FSI. Before handing over forest land to the user agency;	e-Green watch पोर्टल पर जानकारी दी गयी है। जिसका आई.डी. क्रमांक 45528 है। त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।
14	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	आवेदक विभाग द्वारा समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
B:	**Condition which needs to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval:**	
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–10 में संलग्न है।
2	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon' ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–11 में संलग्न है।

3	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only and felling of trees shall be carried out by the State Forest Department . Number of trees to be removed shall be kept at barest minimum during the execution of the project:	एफ.आर.एल–4 मीटर से नीचे के वृक्षों का विदोहन किया जावेगा। वचन पत्र परिशिष्ट–12 में संलग्न है।
4	User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act. 1986. If applicable;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–13 में संलग्न है।
5	User agency shall undertake afforestation along with the periphery of the reservoir;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–14 में संलग्न है।
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–15 में संलग्न है।
7	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–16 में संलग्न है।
8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–17 में संलग्न है।
9	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–18 में संलग्न है।
10	No. additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–19 में संलग्न है।
11	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life. Whichever is less;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–20 में संलग्न है।
12	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–21 में संलग्न है।
13	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–22 में संलग्न है।
14	The User Agency and the state Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules , regulations and guidance for the time being in force as applicable to the project:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–23 में संलग्न है।

15	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidence F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018;	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–24 में संलग्न है।
16	Any other condition that the Ministry of Environment. Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. protection and development of forest & wildlife:	आवेदक संस्था सहमत है। वचन पत्र परिशिष्ट–25 में संलग्न है।

अतः प्रकरण में अनुरोध है कि भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

07/12/2021

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–3/97/2018/10–11/12/4014 भोपाल, दिनांक 2-12-21

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
3. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना प्रबंधक, बीना (पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

07/12/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल